रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 1993/आषाढ़ 1, 1915
No. 371] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 1993/ASADHA 1, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 1993

का. आ. 406(अ):—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के कालम (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है जिस

पर उसके कालम (2) में की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में निर्मित प्रपुंज औषधि का विक्रय किया जाएगा :—

सामग्री

क्र.सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4
"1.	एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट	किग्रा.	2885.00"

[सं. 25(19)/87—पी आई-I]

विनय कोहली, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—यह आदेश उपर्युक्त प्रपुंज औषध के मूल्यों के निर्धारण के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खण्ड-3, उपखण्ड (2) में प्रकाशित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अंतर्गत जारी किए गए सभी पूर्ववर्ती आदेशों, यदि कोई हों, को अधिक्रांत करता है ।

MINISTRY OF CHEM CALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 1993

S.O. 406(E).—In exercise of the powers conferred by subparagraph (1) of Paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby fixes the price specified, in column (4) of the Table as the maximum price at which the indegenously manufactured bulk drug specified in entry in column (2) thereof shall be sold:

TABLE

S.No.	Name of the Bulk Drug	Unit	Maximum Price (Rs.)
1	2	3	4
"1.	Ampicillin Trihydrate	Kg.	2885.00"

[No. 25(19)/87-PI-I]
VINAY KOHLI, Jt. Secy.

Note—This order supersedes all the earlier orders, if any, in respect of fixation of prices for the above bulk drug published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Drugs (Prices Control) Order, 1987.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993